संलग्नक–7

मानक शर्तें

वन अनुभाग–3,उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 7314/14–3–980/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग का किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेंगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मॉगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुॅचायेगे ओर ऐसा किये जाने पर संबधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस संबधं में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओ से भरपूर वन क्षेत्रो का हस्तान्तरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा परन्तु प्रतिबिन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधो को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराये जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जावेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जावेगी।
11. सडक निर्माण में प्रस्तावो पर एलाइन्मेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0नि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरनगर को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी दिनांक 10.2.1982 में निहित आदेशो का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सडक का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य संबधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबधी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

मण्डलीय अभियन्ता
Divisional Engineer
दूरसंचार परियोजना
Telecom. Projects
भारत संचार निगम लिमिटेड
Meerut

13. वन भूमि पर खडे वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रकिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पडने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भूगतान अथवा एक पेड के स्थान पर दस पेडों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 100 मी0 एवं 30 अशं से अधिक ढाल पर खडे ऐसे वृक्षों का पातन निषिद्वा है इसी प्रकार बांज (Okk) के पेडों पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षो के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासंभव पेंडो का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भो को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेडों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेडो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबधित उप वन सरक्षक द्वारा निश्चित की जाऐगी। जिस पर संबधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की संभावना होती है। और नहर की दोनो पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है। तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेंगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

उपरोक्त समस्त शर्ते मण्डलीय अभियन्ता, दूरसंचार परियोजना, (बी.एस.एन.एल.) मेरठ को मान्य है।

1/9/17

मण्डलीय अभियन्ता
Divisional Engineer
दूरसंचार परियोजना
Telecom. Projects
भारत संचार निगम लिमिटेड
BSNL, Meerut